न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 16/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांक: 08.09.2021
अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भैरूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति कलाल निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 03.12.2024

अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड़ (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 42/2020 बउनवान भैरूलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा पटवारी हल्का बिन्दायक की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट भैरूलाल आ0 बिरधीलाल जाति कलाल निवासी बिन्दायका प0म0 देवली द्वारा संवत 2076 में ग्राम बिन्दायका की आराजी खसरा संख्या 747 रकबा 2 बीघा किस्म चारागाह पर नाजायज कब्जा कर फसल रबी गेहूं काश्त की गई है। न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 80 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 24.02.2020 से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.08.2020 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायलय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पत्रावली का उचित रूप से अवलोकन नहीं किया। तहसीलदार के निर्णय से यह स्पष्ट है कि उन्होनें पूर्व में 2075 में अपीलांट को काबिज मानकर बेदखली का आदेश पारित होना मानकर इस आधार पर अतिक्रमी मान लिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि सम्वत् 2075 में अपीलांट को किस प्रकरण संख्या में अतिक्रमी माना प्रकरण संख्या अंकित नहीं है और न ही निर्णय की दिनांक भी अंकित है। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अपीलांट ने

3-12-2024

विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, जुर्माना जमा करवा दिया है, जिस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2020 से प्रमाणित होता है। अपीलांट ने विवादित भूमि से तहसीलदार के आदेश की पालना में अपना कब्जा स्वतःही हटा लिया है वर्तमान में भी कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर भी उचित गौर नहीं किया गया अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 26.08.2020 एवं न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा का निर्णय दिनांक 24.02.2020 में वर्णित सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अपीलांट का कोई कब्जा वर्तमान में आराजी खसरा संख्या 747 रकबा 2 बीघा किस्म चारागाह पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पत्रावली का उचित रूप से अवलोकन नहीं किया। न्यायालय तहसीलदार के निर्णय से यह स्पष्ट है कि उन्होनें पूर्व में 2075 में अपीलांट को काबिज मानकर बेदखली का आदेश पारित होना मानकर इस आधार पर अतिक्रमी मान लिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि सम्वत् 2075 में अपीलांट को किस प्रकरण संख्या में अतिक्रमी माना प्रकरण संख्या अंकित नहीं है और न ही निर्णय की दिनांक भी अंकित है। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1996 Page No. 585 पेश किये।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा संवत 2075 में भी ग्राम बिन्दायका की आराजी खसरा संख्या 747 रकबा 2 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण करने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 80 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 24.02.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़ ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, अकलेरा द्वारा पटवारी हल्का बिन्दायक की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट भैरूलाल आ0 बिरधीलाल जाति कलाल निवासी बिन्दायका प0म0 देवली द्वारा संवत 2076 में ग्राम बिन्दायका की आराजी खसरा संख्या 747 रकबा 2 बीघा किस्म चारागाह पर नाजायज कब्जा कर फसल रबी गेहूं काश्त की गई है। न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए 80 रूपये शास्ति व 30 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से निर्णय दिनांक 24.02.2020 से दण्डित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा अपीलांट के सम्वत् 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाने से अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आने के परिणामस्वरूप निर्णय दिनांक 26.08.2020 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का

3-12-2024
अति. सं. आयुक्त

मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पत्रावली का उचित रूप से अवलोकन किये बिना ही पूर्व में 2075 में अपीलांट को काबिज मानकर बेदखली का आदेश पारित होना मानकर इस आधार पर अतिक्रमी मान लिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि सम्वत् 2075 में अपीलांट को किस प्रकरण संख्या में अतिक्रमी माना प्रकरण संख्या अंकित नहीं है और न ही निर्णय की दिनांक भी अंकित है। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी अनुसार अपीलांट द्वारा सम्वत् 2075 में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण का फसल बोई थी, जिस पर से उसे बेदखल किया जाकर फसल नीलामी की कार्यवाही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने के परिणास्वरूप अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 26.08.2020 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट भैरूलाल आ0 बिरधीलाल जाति कलाल निवासी बिन्दायका प0म0 देवली द्वारा ग्राम बिन्दायका की आराजी खसरा संख्या 747 रकबा 2 बीघा किस्म चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होने से ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर हरदो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में ऐसे कोई साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये गये है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 26.08.2020 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

3-12-2024

(ममता कुमारी दिलावरा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा